

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 अगस्त 2011—श्रावण 25, शक 1933

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2011

क्र. एफ-22-58-2011-पी-1-इक्तीस.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1968 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियम में, :—

(1) अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“अनुसूची-1”

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान	अभियुक्तियाँ
(1)	(2)	जल संसाधन विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में स्वीकृत पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या	(4)	(5)	(6)
1	प्रमुख अभियंता	2	1	3	वर्ग-1	37400—67000+ग्रेड पे 10000	
2	मुख्य अभियंता (सिविल)	10	5	15	वर्ग-1	37400—67000+ग्रेड पे 8900	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
3	मुख्य अभियंता (वि./यां)	1	1	2	वर्ग-1	37400—67000+ग्रेड पे 8900
4	अधीक्षण यंत्री (सिविल)	53	24	77	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 7600
5	अधीक्षण यंत्री (वि./यां)	5	0	5	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 7600
6	मुख्य कार्मिक अधिकारी	1	0	1	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 7600
7	अधीक्षण भू-विद्/भू-जल विद्	1	0	1	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 7600
8	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	153	84	237	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600
9	कार्यपालन यंत्री (वि./यां)	18	4	22	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600
10	मुख्य लेखा अधिकारी	2	0	2	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600
11	वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी	1	0	1	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600
12	वरिष्ठ भू-विद्/भू-जल विद्	12	0	12	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600
13	वरिष्ठ भू-भौतिक विद्	1	0	1	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600
14	वरिष्ठ भू-रसायन विद्	2	0	2	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600
15	वरिष्ठ श्रम कल्याण अधिकारी	1	0	1	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600
16	अनुसंधान अधिकारी	4	0	4	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600
17	रिसोर्स साइंटिस्ट	1	0	1	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600
18	सिस्टम एनालिस्ट	1	0	1	वर्ग-1	15600—39100+ग्रेड पे 6600
19	सहायक यंत्री (सिविल)	917	277	1194	वर्ग-2	15600—39100+ग्रेड पे 5400
20	सहायक यंत्री (वि./यां)	98	17	115	वर्ग-2	15600—39100+ग्रेड पे 5400
21	साइंटिफिक अधिकारी	2	0	2	वर्ग-2	15600—39100+ग्रेड पे 5400
22	लेखा अधिकारी	11	6	17	वर्ग-2	9300—34800+ग्रेड पे 4200
23	सहायक अनुसंधान अधिकारी	13	6	19	वर्ग-2	15600—39100+ग्रेड पे 5400
24	सहायक भू-विद्/भू-जल विद्	35	5	40	वर्ग-2	15600—39100+ग्रेड पे 5400
25	सहायक भू-भौतिक विद्	6	0	6	वर्ग-2	15600—39100+ग्रेड पे 5400
26	सहायक भू-रसायन विद्	6	0	6	वर्ग-2	15600—39100+ग्रेड पे 5400
27	श्रम कल्याण अधिकारी	1	0	1	वर्ग-2	15600—39100+ग्रेड पे 5400
28	प्रोग्रामर	2	0	2	वर्ग-2	9300—34800+ग्रेड पे 4200
29	केनाल डिप्टी कलेक्टर	13	0	13	वर्ग-2	9300—34800+ग्रेड पे 4200

(2) अनुसूची-दो में, कॉलम (4) तथा (5) में, सहायक यंत्री से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

विभाग का नाम	पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग अभियांत्रिकी सेवा (राजपत्रित) भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां	
(1)	(2)	(3)	सीधी भर्ती द्वारा [नियम 7(क) देखिए]	सेवा के स्थानापन्न सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 7(ख) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(6)					
जल संसाधन विभाग	सहायक यंत्री (वर्ग-दो)	1194	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	(35 प्रतिशत उन उपयंत्रियों में से, जो डिप्लोमाधारी हैं, 10 प्रतिशत उन उपयंत्रियों में से, जो अभियांत्रिकी स्नातक हैं तथा 05 प्रतिशत मानचित्रकार संवर्ग से.

(3) अनुसूची-चार में, कॉलम (2) में, शीर्षक "मध्यप्रदेश जल संसाधन अभियांत्रिकी सेवा (राजपत्रित)" के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों "अधीक्षण यंत्री (वर्ग-एक)", "कार्यपालन यंत्री (वर्ग-एक)" तथा "सहायक यंत्री (वर्ग-दो)" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होने की न्यूनतम कालावधि	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जल संसाधन विभाग	अधीक्षण यंत्री (वर्ग-एक)	(1) 5 वर्ष (अधीक्षण यंत्री के रूप में कुल सेवाकाल में से कम से कम एक वर्ष का रूपांकन, सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कार्य में अनुभव आवश्यक होगा.) (2) "इसके लिए कम्प्यूटर तथा इंटरनेट उपयोग करने का ज्ञान आवश्यक अर्हता होगी." "इस हेतु उन्हें राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण-पत्र या समय-समय पर आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा."	मुख्य अभियंता (वर्ग-एक)	1. मुख्य सचिव — अध्यक्ष 2. वरिष्ठतम अपर — सदस्य मुख्य सचिव. 3. प्रमुख सचिव, — सदस्य जल संसाधन विभाग. 4. उपसचिव/ — सदस्य अपर सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग (स्थापना का प्रभारी).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कार्यपालन यंत्री (वर्ग-एक)	(1) 5 वर्ष (कार्यपालन यंत्री के रूप में कुल सेवाकाल में से कम से कम एक वर्ष का रूपांकन, सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कार्य में अनुभव आवश्यक होगा).	अधीक्षण यंत्री (वर्ग-एक)	1. अध्यक्ष— लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष	2. प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग- सदस्य	3. प्रमुख अभियंता- सदस्य जल संसाधन विभाग.
	(2) "इसके लिए कम्प्यूटर तथा इंटरनेट उपयोग करने का ज्ञान आवश्यक अर्हता होगी." "इस हेतु उन्हें राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण-पत्र या समय-समय पर आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा."		4. मुख्य अभियंता/ अधीक्षण यंत्री- सदस्य (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति).		
सहायक यंत्री (वर्ग-दो)	(1) 6 वर्ष (सहायक यंत्री के रूप में कुल सेवाकाल में से कम से कम एक वर्ष का रूपांकन, सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कार्य में अनुभव आवश्यक होगा).	कार्यपालन यंत्री (वर्ग-एक)	1. लोक सेवा - अध्यक्ष आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट.	2. प्रमुख सचिव- सदस्य जल संसाधन विभाग.	3. प्रमुख अभियंता- सदस्य जल संसाधन विभाग.
	(2) "इसके लिए कम्प्यूटर तथा इंटरनेट उपयोग करने का ज्ञान आवश्यक अर्हता होगी." "इस हेतु उन्हें राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण-पत्र या समय-समय पर आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा."		4. उपसचिव/ अपर सचिव/ - सदस्य सचिव, जल संसाधन विभाग (स्थापना का प्रभारी).		

F-22-58-2011-P I-XXXI.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Water Resources Engineering and Geological Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1968, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules:—

(1) For Schedule 1, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE-1

S.No.	Name of post included in the service	Total No. of Duty Post			Classification	Scale of Pay	Remarks
		Number of sanctioned posts in Water Resources Department	Number of sanctioned posts in N.V.D.A.	Total Number of posts			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
1	Engineer-in-Chief	2	1	3	Class-I	37400—67000+GP 10000	
2	Chief Engineer (Civil)	10	5	15	Class-I	37400—67000+GP 8900	
3	Chief Engineer (E&M)	1	1	2	Class-I	37400—67000+GP 8900	
4	Superintending Engineer (Civil)	53	24	77	Class-I	15600—39100+GP 7600	
5	Superintending Engineer (E&M)	5	0	5	Class-I	15600—39100+GP 7600	
6	Chief Personnel Officer	1	0	1	Class-I	15600—39100+GP 7600	
7	Superintending Geologist/ Geohydrologist.	1	0	1	Class-I	15600—39100+GP 7600	
8	Executive Engineer (Civil).	153	84	237	Class-I	15600—39100+GP 6600	
9	Executive Engineer (E&M).	18	4	22	Class-I	15600—39100+GP 6600	
10	Chief Account Officer	2	0	2	Class-I	15600—39100+GP 6600	
11	Senior Administrative Officer.	1	0	1	Class-I	15600—39100+GP 6600	
12	Senior Geologist/ Geohydrologist.	12	0	12	Class-I	15600—39100+GP 6600	
13	Senior Geophysicist	1	0	1	Class-I	15600—39100+GP 6600	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Senior' Geochemist	2	0	2	Class-I 15600—39100+GP 6600
15	Senior Labour Welfare' Officer.	1	0	1	Class-I 15600—39100+GP 6600
16	Research Officer	4	0	4	Class-I 15600—39100+GP 6600
17	Resource Scientist	1	0	1	Class-I 15600—39100+GP 6600
18	System Analyst	1	0	1	Class-I 15600—39100+GP 6600
19	Assistant Engineer (Civil)	917	277	1194	Class-II 15600—39100+GP 5400
20	Assistant Engineer (E&M)	98	17	115	Class-II 15600—39100+GP 5400
21	Scientific Officer	2	0	2	Class-II 15600—39100+GP 5400
22	Account Officer	11	6	17	Class-II 9300—34800+GP 4200
23	Assistant Research Officer	13	6	19	Class-II 15600—39100+GP 5400
24	Assistant Geologist/ Geohydrologist	35	5	40	Class-II 15600—39100+GP 5400
25	Assistant Geophysicist	6	0	6	Class-II 15600—39100+GP 5400
26	Assistant Geochemist	6	0	6	Class-II 15600—39100+GP 5400
27	Labour Welfare Officer	1	0	1	Class-II 15600—39100+GP 5400
28	Programmer	2	0	2	Class-II 9300—34800+GP 4200
29	Canal Deputy Collector	13	0	13	Class-II 9300—34800+GP 4200.”.

(2) In Schedule-II, for the existing entries relating to Assistant Engineer, in column (4) and (5), the following entries shall be substituted namely:—

Name of Department	Name of Post	Total No. of Duty Post	Madhya Pradesh Water Resources Department Engineering Service (Gazetted) Percentage of the number of duty posts to be filled in		Remarks
			By direct recruitment [vide rule7(a)]	By promotion of the substantive members of service [vide rule7(b)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Water Resources Department.	Assistant Engineer. (Class-II)	1194	50%	50%	(35% From Sub-Engineers, who are Diploma holders, 10% From Sub-Engineers who are Degree holder in Engineering and 5% From the Draftsman cadre).

- (3) In Schedule-IV, in column (2) under the heading “Madhya Pradesh Water Resources Engineering Services (Gazetted)” for the existing entries Superintending Engineer (Class-I), “Executive Engineer (Class-I)”, and “Assistant Engineer (Class-II)” and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

Name of Department	Name of Service or Post from which promotion is to be made	Minimum period to qualify for promotion to the next higher Post	Name of Service or Post to which promotion is to be made	Name of members of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Water Resources Department	Superintending Engineer (Class-I)	(1) 5 years (out of total period of Service as Superintending Engineer at least one year's experience in Design, Survey and Research work shall be necessary.  (2) “The knowledge of computer and use of internet shall be the essential qualification”. For this, it shall be essential that they obtain certificate from a National/ State level recognized institute or to pass departmental examinations being held time to time.	Chief Engineer (Class-I)	1. Chief Secretary— Chairman  2. Senior Most Additional Chief Secretary— Member  3. Principal Secretary, Water Resources Department— Member  4. Deputy/Additional Secretary/ Secretary Water Resources Department (Incharge of Establishment)— Member	
	Executive Engineer (Class-I)	(1) 5 years (out of total period of Service as Executive Engineer at least one year's experience in Design, Survey and Research work shall be necessary.)  (2) “The knowledge of computer and use of internet shall be the essential qualification”. For this, it shall be essential that they obtain certificate from a National/ State level recognized institute or to pass departmental examinations being held time to time.	Superintending Engineer (Class-I)	1. Chairman PSC or Member nominated by him— Chairman  2. Principal Secretary, Water Resources Department — Member  3. Engineer-in-Chief Water Resources Department — Member  4. Chief Engineer/ Superintending Engineer (SC/ST)— Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Assistant Engineer (Class-II)	<p>(1) 6 years (out of total period of Service as Assistant Engineer at least one year's experience in Design, Survey and Research work shall be necessary.</p> <p>(2) "The knowledge of computer and use of internet shall be the essential qualification". For this, it shall be essential that they obtain certificate from a National/ State level recognized institute or to pass departmental examinations being held time to time.</p>	Executive Engineer (Class-I)	<p>1. Chairman Public Service Commission or Member nominated by him— Chairman</p> <p>2. Principal Secretary, Water Resources Department— Member</p> <p>3. Engineer-in-Chief Water Resources Department— Member</p> <p>4. Deputy/Additional Secretary/ Secretary Water Resources Department (Incharge of Establishment)— Member</p>	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार, उपसचिव.